अमर उजाला 05/03/2025

कॉपीराइट के विषय पर फैलाई जागरूकता

जीएमएन कॉलेज में आयोजित व्याख्यान में शामिल विद्यार्थी। कॉलेज

संवाद न्यूज एजेंसी

अंबाला। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज की सीआरसी यूनिट ने मंगलवार को कॉपीराइट नैतिक विचार विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। इसमें 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विशेषज्ञ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से डॉ. हरीश धुरेजा रहे।

उन्होंने बताया कि भारत में कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा संरक्षण का एक रूप है। जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत दिया गया है। यह कानून देशभर में लागू है। कॉपीराइट, साहित्यिक, नाटकीय, संगीत, और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को दिया गया कानूनी अधिकार है। वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को भी कॉपीराइट किया जा सकता है।

पेटेंट, ट्रेडमार्क, चिह्न और व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा अधिकार के सबसे आम उदाहरण हैं। कॉपीराइट में शामिल अधिकारों का समूह में सम्मिलित अधिकार हैं। कार्य वितरित करना, कार्य को पुनः प्रस्तुत करना, कार्य को प्रदर्शित करना उदाहरण के लिए, एक पेंटिंग जिसे आप संग्रहालय को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति देना चाहते हैं।

अनैतिक कॉपीराइट प्रथाओं का सबसे तात्कालिक परिणाम प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाना है। नैतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अपने कार्य को पंजीकृत करें, उपयोग की शर्तों को स्पष्ट रूप से बताएं और उचित उपयोग सिद्धांतों का ध्यान रखें।